

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।
पत्रांक 1311 /ओबरा/ 15 भू0ह0 दिनांक- 02-12-2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा स्वीकृत पैकेज संख्या-यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1350 /11-सी दिनांक-28.11.2023 तथा इस कार्यालय के पत्रांक-1270 /ओबरा/ 15 भू0ह0 दिनांक-29.11.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा आन लाईन आवेदन किये गये विषयक प्रस्ताव को उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त, अपने कार्यालय के पत्रांक- पत्रांक-1350/11-सी दिनांक-28.11.2023 द्वारा प्रस्ताव में कमियां दर्शाते हुए, सन्दर्भित पत्र में इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात बिन्दुवार निराकरण आन लाईन अपलोड कर, पूर्ण आन लाईन प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-1270 /ओबरा/ 15 भू0ह0 दिनांक-29.11.2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक-02.12.2023 को आन लाईन आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1350/11-सी दिनांक-28.11.2023 द्वारा लगाये गये आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार है:-

ऑनलाइन पाट-1 में प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर पर		
1	ऑनलाइन के क्रमांक-C-ii(b) में प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल यथास्थान अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
2	ऑन लाईन के क्रमांक-C-iii एवं क्रमांक C-iv में प्रस्तावित वन भूमि की SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map के स्थान पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जाने वाली गैर वन भूमि की SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड है। अतः इसे डिलिट कर प्रस्तावित वनभूमि की	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि की SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।

	SoI Toposheet एवं Geo Referenced Digital Map यथा स्थान अपलोड करें।	
3	ऑन लाईन के क्रमांक-L-(iv) (g), Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency में परियोजना की स्वीकृति आदेश अपलोड है। इसे डिलिट कर गैर वन भूमि का Present owner एवं User Agency के बीच Mou/Agreement की कापी यथास्थान अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा गैर वन भूमि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/अभिलेख यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
4	ऑन लाईन के क्रमांक-L-(iv) (d) में 13.134हे0 अवनत वन भूमि के कम्पाटमेन-7 के स्थान पर अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल 15.74हे0 एवं कम्पाटमेन-6 अंकित किया गया है। इसे डिलिट कर अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल 13.134हे0 एवं कम्पाटमेन-7 अंकित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार अवनत वन भूमि का क्षेत्रफल 13.134हे0 एवं कम्पाटमेन-7 अंकित कर दिया गया है।
ऑनलाइन पाट-2 में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर		
1	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सी0ए0 की चेक लिस्ट (चेक लिस्ट संलग्न) आन लाईन अपलोड नहीं किया गया है।	सी0ए0 की चेकलिस्ट ऑनलाइन एडिशनल इन्फार्मेशन डिटेल में अपलोड कर दिया गया है।

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक-1350 /11-सी दिनांक-28.11.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निराकरण कर, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)

प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- 1311 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)

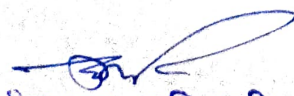
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) हेतु चयनित स्थल की चेक लिस्ट

(चयनित अवतल वन भूमि)

क्रम सं०	बिन्दु	टिक बाक्स (✓/X)
1	चयनित स्थल केवल वन ब्लॉक में हो। वृक्षारोपण हेतु रोड साइड स्थल का चयन न किया जाये।	✓
2	वानस्पति घनत्व 0.4 से कम हो।	✓
3	चयनित स्थल प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से भी पूर्णतः उपयुक्त हो।	✓
4	किसी भी तरह का अतिक्रमण व अधिभार न हो।	✓
5	किसी भी तरह का कृषि कार्य न हो रहा हो।	✓
6	स्थल का मौके पर निरीक्षण कर/कराकर वृक्षारोपण हेतु स्थल पूर्णतः उपयुक्त है, सुनिश्चित करें।	✓
7	चयनित स्थल का गूगल अर्थ पर प्राथमिक परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु मानकों के अनुरूप है।	✓
8	पूर्व में किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण न कराया गया हो।	✓
9	यदि चयनित स्थल पर किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में वृक्षारोपण कराया गया हो तथा वृक्षारोपण असफल हो गया हो तो इस संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वांछित औपचारिकताएं, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा इस क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है, संबंधी स्पष्ट प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए।	—
10	यदि चयनित स्थल पर पूर्व से ही लैण्टाना की झाड़ियाँ अथवा घास-फूस विद्यमान हो तथा स्थल का घनत्व 0.4 से कम हो एवं वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में अवश्य संलग्न किया जाये।	—
11	05 हे० से अधिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र का DSS Analysis आई०टी० सेल से कराया जाये।	डि० एस० एस० एनालिसिस करा गया गया है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-जुगैल
ओवरा वन प्रभाग-सोनभद्र


क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओवरा वन प्रभाग
ओवरा-सोनभद्र